भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1127
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

1127. **श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि हाँ, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ख) उक्त राज्य में बाल विवाह, मानव दुर्व्यापार/घरेलू हिंसा को रोकने के लिए चलाई जा रही योजनाओं/जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनमें क्या प्रगति हुई है;
(ग) क्या आंगनवाड़ी, आशा बहू और स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के मानदेय, प्रशिक्षण/सामाजिक सुरक्षा: सुधार के लिए कोई नई योजना स्वीकृत की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने और कुपोषण को दूर करने के लिए कोई नई पहल की जा रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण/राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022-23 से, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जो तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत आयोजित की जाती हैं: (1) मिशन शक्ति, जो अपने दो उप-घटकों संबल, सुरक्षा के लिए और सामर्थ्य, सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण पर केंद्रित है। (2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा प्रदान करना है; और (3) मिशन वात्सल्य, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए समर्पित है, जिनमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा और फेलोशिप के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना, स्वयं (युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, पीएम ई-विद्या, एनईएटी (राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए गठबंधन) आदि जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को महिलाओं एवं बालिकाओं सहित सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

(ii) आयुष्मान भारत के अंतर्गत, सरकार 1200 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से मुफ़्त उचार प्रदान कर रही है इनमें से 141 से ज़्यादा चिकित्सा पैकेज विशेष रूप से महिलाओं की चिकित्सा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इस योजना के तहत सात प्रकार की जांच (टीबी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मोतियाबिंद) की जाती है, जिससे करोड़ों महिलाओं को लाभ मिला है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1,50,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा को समुदाय के करीब लाते हैं।

(iii) देश भर में 16,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) कार्यरत हैं। पीएमबीजेके में लगभग 40 महिलाओं के लिए विशेष वस्तुओं सहित सस्ती दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, 1 रुपये प्रति पैड की बेहद सस्ती कीमत पर 'सुविधा सैनिटरी नैपकिन' नामक सैनिटरी नैपकिन की बिक्री का भी प्रावधान है।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराकर 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना है और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(v) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(vi) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है।

(vii) महिलाएं प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई) के तहत सबसे बड़ी लाभार्थी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी प्रदान करती है।

(viii) स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना बैंक ऋण और उद्यमशीलता गतिविधियों की सुविधा प्रदान करती है और इससे महिला उद्यमियों को काफी लाभ हुआ है।

(ix) अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) को बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है।

(x) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से झारखंड राज्य में, महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने और जीवन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.3 करोड़ परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराया गया

है और जल जीवन मिशन के माध्यम से 15.6 करोड़ से अधिक परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(ख): बाल विवाह, मानव दुर्व्यापार/घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश में चलाई जा रही कुछ योजनाएं/जागरूकता कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(i) केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत, बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग एवं रोकथाम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु 'https://stopchildmarriage.wcd.gov.in' पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी है। यह पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध है।

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने शी-बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो न केवल एक गोपनीय शिकायत तंत्र के रूप में बल्कि देश भर में आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) की जानकारी के भंडार के रूप में भी कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न की सुरक्षित और गोपनीय तरीके से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कार्यस्थलों में जवाबदेही बढ़ाने और दीर्घकालिक सांस्कृतिक बदलाव में योगदान मिलता है। यह पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें ऑडियो कैप्चा की सुविधा भी है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भाषा के साथ-साथ दिव्यांगता संबंधी बाधाओं को भी दूर किया जा सके।

(iii) सरकार ने मानव दुर्व्यापार से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपराध ट्रैकिंग और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। सीआरआई-मैक कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच 24x7 वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है, जिससे दुर्व्यापार सहित बड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलती है। लैंगिक अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) जो लैंगिक अपराधों के मामलों में पुलिस जांच की निगरानी

और ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में कार्य करती है। लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) लैंगिक अपराधियों पर नज़र रखने में मदद करता है, जबकि मानव दुर्व्यापार अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ) देश भर में मानव दुर्व्यापार के अपराधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एलईए के प्रयासों का समर्थन करता है। निर्भया कोष के अंतर्गत, मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) मानव दुर्व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए एकीकृत कार्यबल हैं और इसमें पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा राज्य के अन्य संबंधित विभागों के प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारियों का एक समूह शामिल होता है। एएचटीयू मानव दुर्व्यापार के सभी तीन पहलुओं अर्थात रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन पर ध्यान देते हैं और इस प्रकार वे समग्र रूप से मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए क्षेत्र स्तरीय कार्यात्मक इकाइयां हैं। कुल 766 जिलों में से लगभग 700 में कुल 827 एएचटीयू कार्यरत हैं, जिनमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 807 और सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) में 15 तथा सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) में 5 शामिल हैं।

(iv) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 कई प्रमुख अनुबंधों के माध्यम से मानव दुर्व्यापार के खिलाफ भारत के कानूनी ढांचे को मजबूत करती है। धाराएं 143 और 144 आईपीसी की धाराएं 370 और 370 'क' का स्थान लेती हैं और उनका विस्तार करती हैं, दुर्व्यापार को व्यापक रूप से खासकर एक से अधिक व्यक्तियों या बच्चों की दुर्व्यापार और उनके शोषण के लिए परिभाषित एवं कड़े दंड निर्धारित करती हैं। धारा 111 संगठित अपराध के जुर्म का परिचय देती है, जिसमें वेश्यावृत्ति के लिए दुर्व्यापार शामिल है। अन्य प्रासंगिक अनुबंधों में धारा 69 (शादी या रोजगार का झूठा वादा करके लैंगिक संबंध), धारा 95 (अपराध करने के लिए बच्चों का उपयोग करना) और धारा 99 (वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना) शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव दुर्व्यापार के अपराध को भी कवर करती हैं।

(v) इसके अलावा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/क्रियान्वित की जा रही हैं:

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है, संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही जगह अस्थायी आश्रय, चिकित्सा, पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी

तत्काल मदद और सुविधा प्रदान करती है, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक ओएससी के साथ 96 कार्यशील ओएससी हैं, जिन्होंने 30.06.2025 तक 2.85 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। जबकि, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -181 का सार्वभौमिकरण उत्तर प्रदेश सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। यूपी में डब्ल्यूएचएल ने 31.05.2025 तक 12.82 लाख से अधिक कॉल का निपटान किया हैं और 8.5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

(ग) और (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें इस योजना के दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्त्री" हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखरेख और विकास के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। मानद और स्वैच्छिक कार्यकर्त्री होने के नाते, उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए गए मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रति माह रु. 4,500/- और आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह रु. 2,250/- मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच लागत साझाकरण के आधार पर किया जाता है साथ ही आंगनवाड़ी सहायिका को 250/- रुपए प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 500/- रुपए प्रति माह का निष्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन्हें अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है। इस कार्यक्रम में उनकी भर्ती न तो किसी खुली, और न ही प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है।

मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन, एडब्ल्यूडब्ल्यू और पर्यवेक्षकों के 50% पद क्रमशः एडब्ल्यूएच और एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा भरे जाने आवश्यक हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल अर्थात एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अपनाएं। समाज के प्रति उनके योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(पीएमजेजेबीवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को बीमा लाभ प्रदान करती है और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी अनुरोध किया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सुनिश्चित मासिक पेंशन मिल सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कवर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं तक बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त के अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ सहायिकाओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिनमें प्रति वर्ष 20 दिनों का अवकाश, गर्भपात/गर्भस्त्राव होने पर एक बार 45 दिनों की सवेतन अनुपस्थिति और 180 दिनों की सवेतन मातृत्व अनुपस्थिति शामिल हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को प्रति वर्ष दो यूनिफार्म (साड़ी/सूट) का सेट देने का प्रावधान है।

इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 फ्रंट लाइन कार्यकर्त्रियों यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 1 मार्च 2021 को 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

(ड़): उच्च शिक्षा विभाग का छात्रवृत्ति प्रभाग वर्तमान में ऋण/सब्सिडी से संबंधित निम्नलिखित दो योजनाओं का संचालन कर रहा है। ये योजनाएं लिंग-विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य योजना के अंतर्गत पात्र सभी मेधावी छात्रों की सहायता करने पर केंद्रित हैं:

(i) पीएम-यूएसपी सीएसआईएस: इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन छात्रों को भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर स्थगन अवधि, अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष के दौरान ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4.5 लाख रुपये तक है।

(ii) पीएम विद्यालक्ष्मी: यह योजना देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को बिना किसी जमानत या गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान

करती है; यह ऋण एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ है। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता भी प्रदान करेगी।

उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं भी कार्यान्वित की जाती हैं।

*****